

कार्यालय कलेक्टर(महिला एवं बाल विकास)
जिला- बेमेतरा (छ.ग.)

Gmail ID - dpobemetara@gmail.com

दूरभाष कर्मांक 07824-296013

// विज्ञापन //

कर्मांक / 2429 / म.बा.वि./सखी/2026-27

बेमेतरा, दिनांक 16/06/2026

संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग नवा रायपुर अटल नगर का पत्र कर्मांक 10478/मबावि/मसमि/सखी-4/24-25 नवा रायपुर, दिनांक 27.11.2024 के परिपालन में छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पत्र कर्मांक/4077 के द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन नवीन वित्तीय मापदंड एवं मानव संसाधन के प्रावधान के अनुसार किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। सखी वन स्टॉप सेंटर का नवीन मार्गदर्शिका 2022 मापदंड अनुसार संचालन किया जाना है।

भारत शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर बेमेतरा में दैनिक कार्यों का संचालन व सभी सुसंगत कार्यवाही के लिए सेवाप्रदाता नियुक्त किया जाना है इस हेतु **केवल पात्र महिला आवेदको** (व्यक्तिगत सेवाप्रदाता) से निम्नानुसार उल्लेखित कार्य/पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए दिनांक 30.06.2026 को सुबह 11:00 बजे से **वॉक-इन-इंटरव्यू** के माध्यम से नियुक्ति हेतु निर्धारित तिथि में **जिला पंचायत सभा कक्ष जिला बेमेतरा** में आयोजित किया जायेगा जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क.	सेवाप्रदाता का पद नाम	सेवा प्रदाताओं की संख्या	मासिक सेवा शुल्क	अधिकतम आयु सीमा	वेतन मैट्रिक्स में लेवल (केवल यात्रा व्यय, भत्ता भुगतान गणना के लिए)
1	साईको-सोशल काउंसलर	अनारक्षित-01 पद (महिला)	25780/- प्रतिमाह	45 वर्ष	(लेवल-8)
योग		01			

1. सखी वन स्टॉप सेंटर के सेवाप्रदाता हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव तथा कार्यदायित्व -

S.No.	Position	Number of Staff	Qualification	Roles & Responsibilities
1	Psycho-social Counsellor	01	The service could be outsourced to any women having professional degree/diploma in psychology/psychiatry/neurosciences with a background in health sector and preferably with at least 3 years experience of working within a government or non government health project/ programme at the district level.	1.She will provide psychological counselling and guidance to the women affected by violence and support in referral services that may be deemed fit for the women affected by violence based on her needs. 2.She will help draft the case history of the women affected by violence.

टीप :- शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जावेगा। आवेदन पत्र www.bemetara.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।

✓

2. आयु सीमा

- 2.1 उपरोक्त सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2026 की स्थिति में 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो। राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 2.2 आयु के सत्यापन/समर्थन हेतु जन्म प्रमाण-पत्र या कक्षा 8वीं,10वीं की अंकसूची, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के लिए समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
- 2.3 पदों पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण-पत्र ही मान्य किए जावेंगे।
- 2.4 आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 2.5 चयनित अभ्यर्थी को चयन किए जाने के पश्चात 01 माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा स्वास्थ्य परीक्षण में आयोग्य पाए जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेंगी।
- 2.6 सखी वन स्टॉप सेंटर अत्यंत संवेदनशील प्रकृति का कार्य है, अतः चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के पूर्व पुलिस द्वारा पृष्ठभूमि का सत्यापन करना अनिवार्य होगा तथा पदमार ग्रहण करने के समय तत्संबंधी प्रमाण-पत्र कार्यालय को देना होगा। आवेदन करते समय भी आवेदक को गैर सिद्ध दोष प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- 2.7 सखी वन स्टॉप सेंटर के कार्य की प्रकृति संवेदनशील तथा पीड़ितों की गोपनीयता की दृष्टि से कानूनन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। चयनित अभ्यर्थी को सेवा में उपस्थित होने के उपरांत कार्य से संबंधित समस्त विषय पीड़ितों/प्रकरणों से संबंधित विषयवस्तु एवं डाटा की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य होगा एवं तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा एवं उल्लंघन पाए जाने पर सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
- 2.8 कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रु. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 2.9 उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जायेकि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
- 2.10 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंक सूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणिक/सत्यापित होना चाहिए।

✓

- 2.11 अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रामाणिकता का परीक्षण करना अनिवार्यतः किया जावे।
- 2.12 आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी जिला कलेक्टर का निर्णय ही अंतिम होगा।
- 2.13 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं होगा नहीं किया जावेगा।
- 2.14 शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
- 2.15 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जावेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन न करें।
- 2.16 निर्धारित पद के लिए आवेदन देना होगा। आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। वह आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल ऐड्रेस एवं मोबाइल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।
- 2.17 आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ली तथा विज्ञापित पद के लिए निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाए जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
- 2.18 उपरोक्तानुसार अर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए वॉक-इन-इंटरव्यू के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी।
- 2.19 वॉक-इन-इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
- 2.20 योजना के अंतर्गत एकमुश्त सेवा शुल्क पर नियुक्त सेवा प्रदाता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में शासित होंगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।
- 2.21 इन पदों पर नियुक्त सेवा प्रदाता को एकमुश्त सेवा शुल्क ही देय होगा तथा इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन भत्ते, अनुग्रह अनुदान देय नहीं होगा।
- 2.22 इन सेवा प्रदाताओं को मातृत्व अवकाश सुविधा की पात्रता होगी। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता अनुसार होने पर कहीं यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

✓

- 2.23 उपरोक्त सेवा प्रदाताओं के सेवा शुल्क भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा एवं निर्देश के अनुसार है तथा भविष्य में भारत शासन द्वारा इसमें वृद्धि किए जाने पर इन्हें वृद्धि अनुसार ही सेवा शुल्क दिया जावेगा।
3. नियुक्ति प्रक्रिया :- सखी वन स्टॉप सेंटर के सेवाप्रदाताओं के चयन हेतु पूर्व में जारी दिशा निर्देशों में वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से चयन के निर्देश थे। मिशन शक्ति अंतर्गत जिला महिला सशक्तिकरण केंद्र (DHEW जिला स्तरीय हब) के लिए विस्तृत चयन प्रक्रिया के निर्देश दिए गए हैं, जिसका अनुश्रवण करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही जिला स्तरीय संचालन समिति के द्वारा किया जावे।
- 3.1 सखी वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत स्वीकृत पद के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी, जिला कलेक्टर होंगे।
- 3.2 सखी वन स्टॉप सेंटर के रिक्त पद पर चयन हेतु जिला स्तरीय पर गठित होने वाली चयन समिति भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित मापदंड के अनुसार चयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी तथा जिला कलेक्टर को अनुशंसा करेगी।
- 3.3 समिति द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति हेतु/भर्ती मापदंड(मेरिट) एवं प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन आमंत्रित किया जाएगा। निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली के आधार पर मेरिट तैयार किया जायेगा। आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्ननुसार अंक रखे जायेंगे।
- 3.4 वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का वेटेज देते हुए अधिकतम 60 अंक।
- 3.5 न्यूनतम अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिए जाएंगे अधिकतम 10 अंक।
- 3.6 राज्य के महिला हेल्पलाइन या सखी वन स्टॉप सेंटर के क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को बोनस अंक के रूप में प्रतिवर्ष के लिए 02 अंक दिए जाएंगे जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।
- 3.7 उपरोक्त के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी।
- 3.8 वॉक इन इंटरव्यू हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। अभ्यर्थी को स्थानीय भाषा/बोली का ज्ञान होना आवश्यक है। वॉक-इन-इंटरव्यू के दौरान इस आधार पर भी मापदंड रखा जाएगा।
- 3.9 अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।
- 3.10 छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक 3232/1538/सा. /2024/50 दिनांक 10.09.2024 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है कि जिलों में स्थापित होने वाले जिला महिला सशक्तिकरण केंद्र में एकमुश्त वेतन/संविदा वेतन के पदों की पदपूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यदि इन सेवा प्रदाताओं की योग्यता,

✓

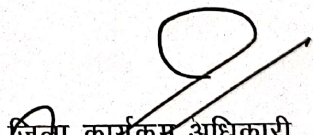
अनुभव के आधार पर यदि इनका चयन किसी पद पर वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए होता है तो वॉक-इन-इंटरव्यू के दौरान इन्हें प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश हैं।

- 3.11 अतः कंडिका 2.10 के आवलोकन में सखी वन स्टॉप सेंटर के अतिशेष सेवाप्रदाता, जिनकी सेवाएं समाप्त की गई है अथवा प्रक्रियाधीन है यदि उनके द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर के पदों हेतु आवेदन किया जाता है तो समायोजन के उद्देश्य से इन सेवा प्रदाताओं की योग्यता अनुभव के आधार पर इनकी अनुभव का लाभ लेने के उद्देश्य से इनको आवेदन को प्राथमिकता दिया जावे।
- 3.12 समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तनुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 3 के उपकंडिका 3.4 एवं 3.5 एवं 3.6 पर प्राप्त कुल 80 अंकों के वेटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के 1:5 या 1:10 के रेशियो में जैसा चयन समिति उचित समझे वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तनुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनुशंसा सूची जिला कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी एवं जिला कलेक्टर के अनुमोदन से नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।

4.नियुक्ति की अवधि :-

- 4.1 इस पद पर प्रथम बार में एकमुश्त सेवा शुल्क पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्त किया जाएगा तथा तदपश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आकलन कर सेवा अवधि प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा सेवा अवधि की समाप्ति पर अवधि न बढ़ाए जाने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।
- 4.2 चयनित सेवा प्रदाता की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताएं भी समाप्त की जा सकती है। कार्य अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- 4.3 इस पद की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिए जाएंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत सेवा प्रदाताओं की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 4.4 चयन के संबंध में संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला- बेमेतरा (छ.ग.)

आवेदन का प्रारूप

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला- बेमेतरा (छ.ग.)

स्वयं द्वारा अभिप्रेमाणित
पासपोर्ट साईज फोटो
एवं हस्ताक्षर जिसका
आधा भाग फोटो एवं
आधा आवेदन पत्र में
होना चाहिए चस्पा करें

1. आवेदित पद का नाम :-
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :-
- (अंग्रेजी में) :-
3. पिता/पति का नाम :-
4. स्थायी पता :-
5. (पत्र व्यवहार का पता) :-
- दूरभाष/मोबाईल
6. जन्मतिथि (अंको में) :-
- (शब्दों में)
7. दिनांक 01.01.2026 को आयु :-वर्ष, माह,.....
-दिन
8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, :-
- हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें :-
9. लिंग पुरुष/महिला :-
10. जाति/वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) जाति वर्ग
- जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें।
11. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? :-.....
- हां, तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।
12. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्ता :-
13. यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि एवं जीवित बच्चों की संख्या :-
14. शैक्षणिक योग्यता :- (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापति प्रति संलग्न करें)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था का नाम	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7

15. अन्य योग्यता का विवरण :-
16. अनुभव प्रमाण पत्र (संलग्न हां/नहीं) :-

क्र.	संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

17. आवेदक द्वारा अनिवार्य संलग्नों की सूची :-

1. जन्मतिथि हेतु 10वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र।
2. 12वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र।
3. स्नातक की अंकसूची/प्रमाण पत्र।
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर संलग्न करें)
5. जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र।
6. रोजगार पंजीयन की प्रति।
7. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का प्रमाण पत्र।
8. पहचान पत्र/आधार कार्ड/वोटर आईडी इत्यादि।
9. एक लिफाफा जिसमें स्वयं का पता लिखा व 10 रु. का डाक टिकट सहित।

18. संलग्नों का विवरण -

- | | |
|---------|----------|
| 1. | 6. |
| 2. | 7. |
| 3. | 8. |
| 4. | 9. |
| 5. | 10. |

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

घोषणा - पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान :-

दिनांक :-